



भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

Indian Institute of Information Technology, Nagpur

ANTY- RAGGING RULES

The legal definition of ragging is as follows:

'Ragging' means the doing of any act which causes, or is likely to cause any physical, psychological or physiological harm of apprehension or shame or embarrassment to a student, and includes

- a) Teasing or abusing or playing practical joke on, or causing hurt to any student.
- b) Asking any student to do any act, or perform anything, which he/she would not, in the ordinary course, be willing to do or perform.

Ragging is different from other crimes because the motive is solely to get perverse pleasure.

Following types of abuses and activities will be termed as ragging:

- **Physical abuse**, for example, forcing to eat, drink or smoke, forcing to dress or undress.
- **Verbal abuse**, for example swear words and phrases, direct or indirect derogatory references to the person's appearance, attire, religion, caste, family or chosen field of study.
- **Forced activity, for example**
 - Chores for seniors e.g. copying notes, cleaning rooms, etc.
 - Missing classes. Not being allowed to study.
 - JIM awake late or getting up at unreasonable times.
 - Singing or dancing or performing in any other way.
 - Using foul language or shouting or cheering loudly.
 - Misbehaving with strangers, particularly women.
 - Reading or browsing porno-graphic/objectionable material.
- **Lifestyle restrictions, for example.**
 - Not allowing certain kinds of clothing or accessories e.g. jeans, belts etc.
 - Enforcing rules regarding shaving or oiling hair. Forcing certain kinds of dress.
 - Restricting access to parts of the hostel c.g. common room.
 - Requiring certain modes of address i.e. seniors should be called Sir or Ma'am.
 - Requiring a particular wake-up time.

Conversational mind-games, Particular forms of interaction in which a senior or set of seniors manipulates the conversation so as to humiliate the first year student or make him/her feel stupid or insecure or generally threatened.

Observation and Directives of the Supreme Court:

The Supreme Court of India has observed that enrolment in academic pursuits or a campus life should not immunize any adult citizen from the penal provisions of the laws of the land.

According to the directions of the Supreme Court if any instance of ragging is brought to the notice of the Administration or the faculty, it is legally binding on us to report the matter to the Local Police.

WANT HELP?

Any incident of ragging at IIIT Nagpur may be reported to "Anti-ragging Squad" of IIIT

Nagpur, details of which are available at www.iiitn.ac.in



भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

Indian Institute of Information Technology, Nagpur

रैगिंग विरोधी नियम

रैगिंग की कानूनी परिभाषा इस प्रकार है:

रैगिंग का अर्थ किसी भी ऐसे कार्य को करना है जो किसी छात्र को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की आशंका या शर्म या शर्मिंदगी का कारण बनता है या होने की संभावना है, और इसमें शामिल हैं

क) किसी छात्र को व्यावहारिक मज़ाक करने के लिए चिढ़ाना या गाली देना, या किसी छात्र को चोट पहुँचाना।

ख) किसी भी छात्र से कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहना, या ऐसा कुछ भी करना, जिसे वह सामान्य रूप से करने या करने के लिए तैयार नहीं होगा।

रैगिंग अन्य अपराधों से भिन्न है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल विकृत सुख प्राप्त करना है।

निम्नलिखित प्रकार के दुर्व्यवहार और गतिविधियों को रैगिंग कहा जाएगा:

- शारीरिक शोषण, उदाहरण के लिए, खाने, पीने या धूम्रपान करने के लिए मजबूर करना, कपड़े पहनने या उतारने के लिए मजबूर करना।
- मौखिक दुर्व्यवहार, उदाहरण के लिए शपथ शब्द और वाक्यांश, व्यक्ति की उपस्थिति, पोशाक, धर्म, जाति, परिवार या अध्ययन के चुने हुए क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपमानजनक संदर्भ।
- बलपूर्वक गतिविधि, उदाहरण के लिए,
 - वरिष्ठ छात्र के लिए कार्य उदा. नोट कॉपी करना, कमरे साफ करना आदि।
 - पढाई के लिए कक्षा में नहीं जाने देना/ पढाई नहीं करने देना
 - रात में देर तक जगाना या अनुचित समय पर उठना।
 - गाना या नाचना या किसी अन्य तरीके से प्रदर्शन करना।
 - अभद्र भाषा का प्रयोग करना या ज़ोर से चिल्लाना या जयकार करना।
 - अजनबियों, विशेषकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना।
 - अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री पढ़ना या ब्राउज़ करना।
- जीवन शैली पर प्रतिबंध, उदाहरण के लिए,
 - कुछ प्रकार के कपड़ों या सहायक उपकरणों की अनुमति नहीं है उदा। जींस, बेल्ट आदि
 - बालों को हजामत बनाने या तेल लगाने के संबंध में नियमों को लागू करना। जबरदस्ती कुछ खास तरह के कपड़े पहनना।
 - छात्रावास के कुछ हिस्सों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना उदा. सामूहिक कमरा।
 - वार्तालाप के कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है यानी वरिष्ठों को सर या मैम कहा जाना चाहिए।
 - जागने के लिए एक विशेष समय की आवश्यकता होती है।

संवादी मन-खेल, बातचीत के विशेष रूप जिसमें एक वरिष्ठ या वरिष्ठों का समूह बातचीत में हेरफेर करता है ताकि प्रथम वर्ष के छात्र को अपमानित किया जा सके या उसे बेवकूफ या असुरक्षित या आम तौर पर धमकी दी जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन और निर्देश:

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यदि रैगिंग की कोई घटना संज्ञान में लाई जाती है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि शैक्षणिक गतिविधियों या परिसर के जीवन में किसी भी वयस्क नागरिक को कानूनों के आधार से दंडात्मक प्रावधानों से छुटकारा नहीं दिया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यदि रैगिंग का कोई मामला प्रशासन या संकाय के ध्यान में लाया जाता है, तो स्थानीय पुलिस को मामले की रिपोर्ट करना हमारे लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

सहायता चाहते हैं?

भा.सु.प्रौ. नागपुर में रैगिंग की किसी भी घटना की सूचना भा.सु.प्रौ. नागपुर के "एंटी-रैगिंग स्काड" को दी जा सकती है, जिसका विवरण www.iiitn.ac.in पर उपलब्ध है।